रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012022-232632
CG-DL-E-13012022-232632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 13, 2022/पौष 23, 1943
No. 168] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 13, 2022/PAUSHA 23, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2022

का.आ. 172(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4697(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 दिसम्बर, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान (जो पहले संबलबारा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था) 27.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हिमाचल प्रदेश राज्य में सिरमौर जिला में स्थित हैं;

और, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचना सं. एफ.एफ.ई-बी-एफ(6)-11/2005-II/संबलबारा द्वारा तारीख 7 जून, 2013 से राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया था जो कि राष्ट्रीय उद्यान स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु की विविधता को वास प्रदान करता है और पारिस्थितिकी, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृतिवैज्ञानिक और मनोरंजात्मक और अनुसंधान/शैक्षिक परिप्रेक्ष्य से काफी महत्त्वपूर्ण है;

और, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के सरंक्षित क्षेत्रों के साथ सीमाएं साझा करता है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूर्व की ओर लगभग 8 किलोमीटर में स्थित है और यह क्षेत्र हिमालयन (जोन 2), शुष्क जोन (जोन 4) और गंगेटिक मैदानों (जोन 7) का प्रतिच्छेदन है और वनस्पति और जीवजंतु पश्चिमी हिमालय, पंजाब मैदान और ऊपरी गंगेटिक मैदान के आकर्षण को दर्शाते है;

और, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान में उत्तरी उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र शिवालिक साल वन, उत्तरी उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क शिवालिक साल वन आते हैं। कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान में और आसपास मुख्य वनस्पति परकारे साल (*शोरेया रोबुस्टा*), सेन (*टेरमिनालिया टोमेंटोसा),* संदन (*ओगेनिनिया डेलबर्गियोइड्स*), रोहीनी (*माल्लोटुस फिलिप्पिनेसिस*), महुआ (*मधुका लोंगिफोलिया*), टेंदु (*डिओसपयरोस मेलनोक्सिलों*), ओनला (*इम्बलिका ऑफिकिनालिस*), अमलतास (*कैशिया फिस्तुला*), जामुन (*सिजियम कुमिनि*), आदि पाई जाती है;

और, क्षेत्र में मुख्य जीवजंतु में तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), बनबिलार *(फेलिस चाउस)*, सियार (*कैनिस ऑरियस*), हिमालयन पाल्म सिवेट *(पागुमा लारवाटा),* येलो थ्रोटेड मार्टिन *(मारटेस फलाविगुला),* सांभर (*एक्सिस यूनीक्लोर),* चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), ब्लू बुल (*बोसेलाफुस ट्रागोकामेलुस*), गोरल *(नेमोररहेड्डस गोरल),* बनैला सुअर (*सस स्क्रोफ़ा*), *सामान्य लंगूर (प्रेस्अयटेस इंटेल्लुस), रिसस मकाक (मकाका मुलाट्टा),* साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका)* पाए जाते है;

और, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान में शिवालिक और हिमालय की विशिष्ट पक्षी प्रजातियां जैसे मैरून ओरिओले (*ओरिओलुस ट्रेलिलि*), ऑरेंज हेड थ्रश (*ज़ोथेरा सिट्रिना*), व्हाइट कैप्पड वाटर रेडस्टार्ट (*चैमोरोर्निस ल्यूकोसेफालस*), प्लमबेआउस वाटर रेडस्टार्ट (*रहयाकोर्निस फुलीगिनोसस*), कलिज तीतर (*लोफुरा लेकोमेलानॅस*), वालक्रीपर (*तिचोडरोमा मुरारीया*), का वास है। क्षेत्र तितलियों की 70 प्रजातियों और टाइगर बीटलस् की कई अन्य प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, ऐतिहासिक अभिलेखों में कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की उपस्थिति निर्दिष्ट है जो कि यमुना बैराज में हाइडल-चैनल, जो कि प्रवासी मार्ग को काटता है के कारण अनियमित है;

और, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1)तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिला के कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर शून्य से 8.064 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर शून्य से 8.064 किलोमीटर के साथ 31.24 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों पर हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के साथ निकटवर्ती सीमा के कारण है।

 (2) कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध -I** के रूप में संलग्न है।

 (3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध-IIक** और **उपाबंध-IIख** के रूप में संलग्न है।

 (4) कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

 (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करने के लिए प्रकिया प्रदान की जाएगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

IndiaCode

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है,

		नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि, गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।

16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे; अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
21.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
22.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

mhlegal

32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि / वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.-** इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	अंचल प्रभारी, नाहन वन अंचल, नाहन	अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा	सदस्य;
(iii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता	सदस्य;
(iv)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
(v)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(vii)	संभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), शिमला	सदस्य- सचिव

6. **निर्देश-निबंधन.-** (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. **अतिरिक्त उपाय**.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश**.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/48/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी,वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध- I

कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

1- पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं नीचे दी गई है:-

(i) उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानचित्र (उपाबंध-II) मे दर्शाये गये उ - 30^0 26' से 30^0 34' और पू – 77^0 30' से 77^0 23' 30'' के बीच हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला में स्थित कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से उचित चौड़ाई के क्षेत्र के अंतर्गत है।

(ii) उपाबंध-II क और II ख में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की उचित चौड़ाई के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रिज़र्व वन और ग्रामों की सूची निम्न रूप से है:

रिज़र्व वन की सूची:

क्र.सं.	वन संभाग का नाम	वन श्रेणी का नाम	रिज़र्व वन का नाम
1	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ गढ़ी
2	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ गढीबांसवाली
3	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ नौरंगाबाद
4	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ सुदांवाला

5	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ बेहरेवाला
6	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ टोकिओन
7	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ सैनवाला
8	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ पानीवाली
9	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ जामनवाली
10	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ सुखीमेलीओन
11	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ बादीघाटी
12	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ किअरदा
13	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ बांस्वाली
14	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ कट्टा पाथर
15	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ सुराजपुर
16	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ महादेव
17	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ गुट्टनपुर
18	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ कोथेवाली
19	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ मस्त अली
20	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ अम्बवाली
21	पौंटा साहिब	माजरा	आर एफ कोंछीबेली

ग्रामों का नाम:

1- पीलहौर,

2- नौरंगाबाद गुज्जर कॉलोनी

3- घूट्टनपुर

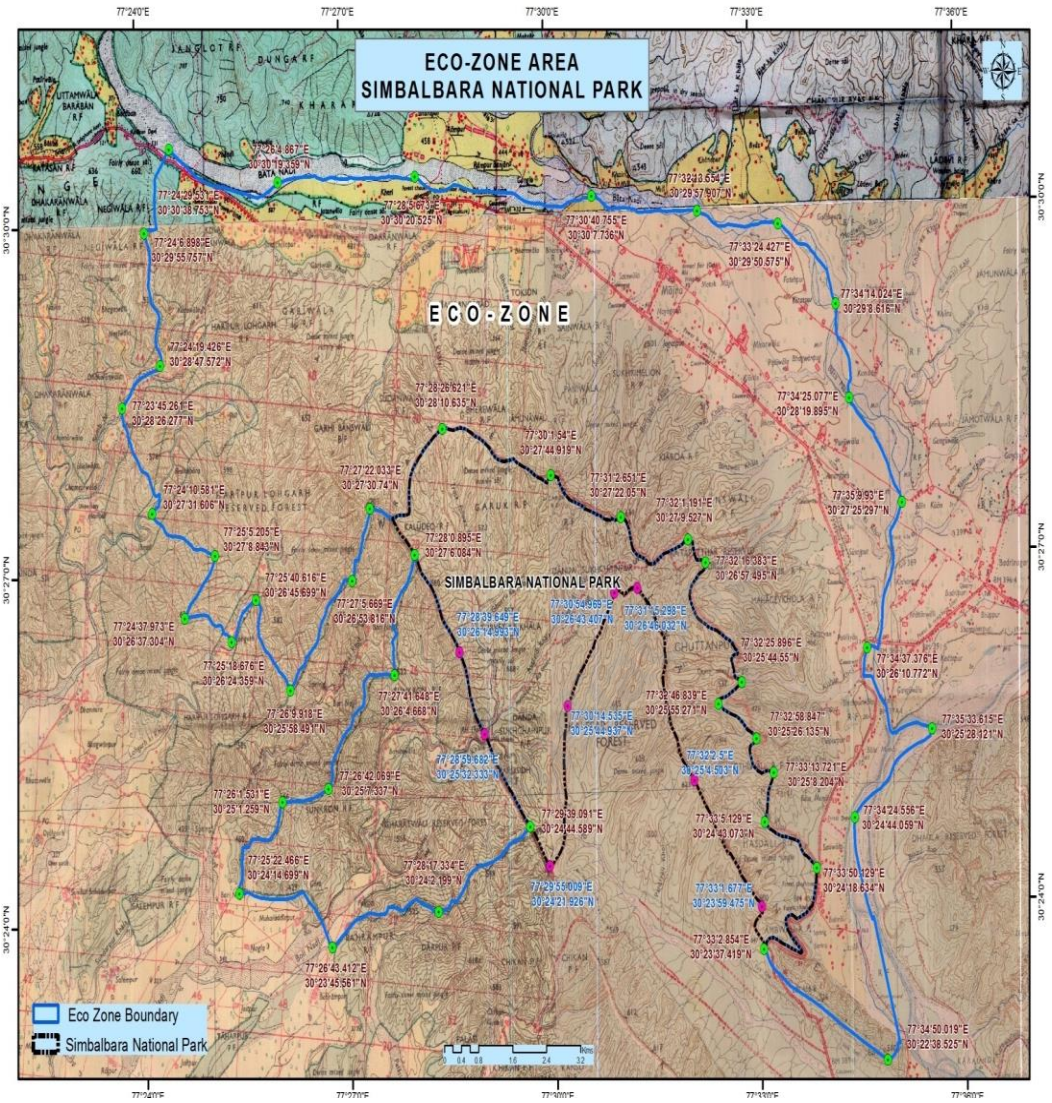
4- बेहरल

(iii) कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान में सभी क्रियाकलाप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 का 1972) के प्रावधानों द्वारा नियमित किए जाएंगे

IndiaCode

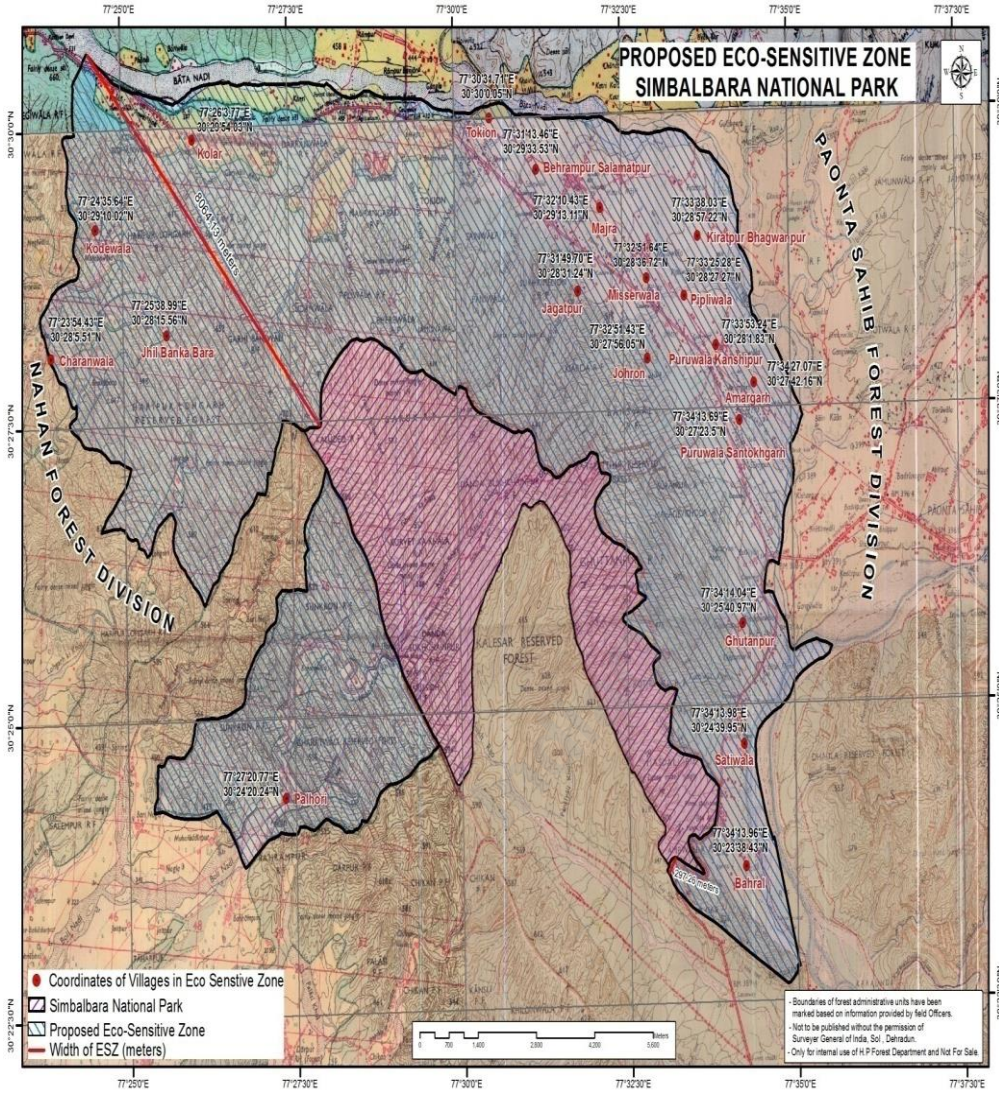
उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ भू-निर्देशांक

क्रम. सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	77° 28’ 26.621” पू	30° 28’ 10.635”उ
2.	77° 31’ 2.651” पू	30° 27’ 22.05” उ
3.	77° 32’ 16.383” पू	30° 26’ 57.495” उ
4.	77° 32’ 58.847” पू	30° 25’ 26.135” उ
5.	77° 33’ 2.854” पू	30° 33’ 37.419” उ
6.	77° 31’ 15.298” पू	31° 26’ 46.032” उ
7.	77° 30’ 14.535” पू	30° 25’ 44.937” उ
8.	77° 29’ 55.009” पू	30° 24’ 21.926” उ
9.	77° 28’ 39.649” पू	31° 26’ 14.993” उ
10.	77° 28’ 0.895” पू	30° 27’ 6.084” उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्रम. सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	77° 24’ 29.531” पू	30° 30’ 38.753” उ
2.	77° 28’ 5.673” पू	30° 30’ 20.525” उ
3.	77° 22’ 24.427” पू	30° 29’ 50.575” उ
4.	77° 34’ 37.676” पू	30° 26’ 10.772” उ
5.	77° 34’ 50.119” पू	30° 22’ 38.525” उ
6.	77° 33’ 2.854” पू	30° 33’ 37.419”उ
7.	77° 29’ 39.091” पू	30° 24’ 44.589” उ
8.	77° 25’ 22.466” पू	30° 24’ 14.699” उ
9.	77° 28’ 0.895” पू	30° 27’ 6.084”उ
10.	77° 27’ 22.033” पू	30° 27’ 30.74” उ
11.	77° 26’ 9.918” पू	30° 25’ 58.991” उ
12.	77° 24’ 10.581” पू	30° 27’ 31.606” उ
13.	77° 24’ 6.898” पू	30° 29’ 55.757” उ

IndiaCode

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	बहराल	30°23'38.43"उ	77°34'13.96"पू
2.	सतीवाला	30°24'39.95"उ	77°34'13.98"पू
3.	घुटनपुर	30°25'40.97"उ	77°34'14.04"पू
4.	पुरूवाला संतोखगढ़	30°27'23.50"उ	77°34'13.69"पू
5.	अमरगढ़	30°27'42.16"उ	77°34'27.07"पू
6.	पुरूवाला कांशीपुर	30°28'1.83"उ	77°33'53.24"पू
7.	जोहरोन	30°27'56.05"उ	77°32'51.43"पू
8.	पिप्लीवाला	30°28'27.27"उ	77°33'25.28"पू
9.	किरतपुर भगवानपुर	30°28'57.22"उ	77°33'38.03"पू
10.	मिस्सेरवाला	30°28'36.72"उ	77°32'51.64"पू
11.	जगतपुर	30°28'31.24"उ	77°31'49.70"पू
12.	मजरा	30°29'13.11"उ	77°32'10.43"पू
13.	बेहरमपुर सलामतपुर	30°29'33.53"उ	77°31'13.46"पू
14.	टोकिओन	30°30'0.05"उ	77°30'31.71"पू
15.	कोलार	30°29'54.03"उ	77°26'3.77"पू
16.	कोदेवाला	30°29'10.02"उ	77°24'35.64"पू
17.	छरांवाला	30°28'5.51"उ	77°23'54.43"पू
18.	झील बांका बारा	30°28'15.56"उ	77°25'38.99"पू
19.	पलहोरी	30°24'20.24"उ	77°27'20.77"पू

उपाबंध –V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रूप विधान:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें)।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2022

S.O. 172(E) —WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 4697 (E), dated the 24th December, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 24th December, 2020;

AND WHEREAS, no objection and suggestion were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Col. Sher Jung National Park (also known as Simbalbara National Park) is spread over an area of 27.88 square kilometres and is located in District Sirmour in the State of Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, the Col. Sher Jung National Park was given the status of National Park with effect from the 7th June, 2013 *vide* notification no. FFE-B-F(6)-11/2005-II/Simbalbara which provides home to a variety of endemic flora and fauna and also has several important values from ecological, faunal, floral, geomorphologic and recreational and research/educational perspective;

AND WHEREAS, the Col. Sher Jung National Park shares boundaries with the protected areas of Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary in the state of Haryana and Rajaji National Park is located at about 8 kilometres towards east and the area occurs at the intersection of Himalayan (Zone 2), Arid Zone (Zone 4) and Gangetic plains (Zone 7) and the flora and fauna shows affinity to Western Himalaya, Punjab plains and Upper Gangetic plains;

AND WHEREAS, the Col. Sher Jung National Park consists of Northern Tropical Moist deciduous forest, Moist Shiwalik Sal forests, Northern Tropical Dry Deciduous forests, Dry Shiwalik Sal forests. The major vegetation found in and around of Col. Sher Jung National Park are sal (*Shorea robusta*), sain (*Terminalia tomentosa)*, sandan (*Ougeninia dalbergioides*), rohini (*Mallotus philippinensis*), mahua (Madhuca longifolia), tendu (*Diospyros melanoxylon*), Aonla (*Emblica officinalis*), Amaltas(*Cassia fistula*), Jamun (*Syzgium cumini*) etc;

AND WHEREAS, the major fauna found in the area are leopard (*Panthera pardus)*, jungle cat *(Felis chaus)*, jackal *(Canis aureus)*, Himalaya palm civet *(Paguma larvata)*, yellow throated marten *(Martes flavigula)*, sambar *(Axis unicolor)*, spotted deer *(Axis axis)*, barking deer *(Muntiacus muntjac)*, blue bull (Boselaphus tragocamelus), goral *(Nemorrhaedus goral)*, wild pig *(Sus scrofa)*, common langur *(Presbytes entellus)*, Rhesus macaque *(Macaca mulatta)*, porcupine *(Hystrix indica);*

AND WHEREAS, the Col. Sher Jung National Park harbours avi-faunal species typical to Shiwaliks and Himalayas such as maroon oriole (*Oriolus traillii*), orange headed thrush (Zoothera citrinae), white capped water redstart (*Chaimarrornis leucocephalus*), plumbeous water redstart (*Rhyacornis fuliginosus*), Kalij pheasant (*Lophura leucomelanos*), wallcreeper (*Tichodroma muraria*). The area also supports seventy species of butterflies and several other species of tiger beetles;

AND WHEREAS, the historical records indicated the presence of elephants in the Col. Sher Jung National Park which are now believed to be occasional due the hydel channel at Yamuna barrage which cut off the migratory routes;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area of Col. Sher Jung National Park, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 8.064 kilometres around the boundary of Col. Sher Jung National Park, in Sirmour District in the State of Himachal Pradesh as the Col. Sher Jung National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 31.24 square kilometres with an extent of zero to 8.064 kilometres around the boundary of Col. Sher Jung National Park. Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to contiguous border with Kalesar Wildlife Sanctuary and Kalesar National Park of Haryana on north-western, southern and south-eastern sides.

(2) The boundary description of Col. Sher Jung National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Col. Sher Jung National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

(4) The lists of geo co-ordinates of the boundary of Col. Sher Jung National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Himachal Pradesh State Pollution Control Board; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into the areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

IndiaCode

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industry shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

IndiaCode

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities

		shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per the building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per the classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under the applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under the applicable laws.

19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water; otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under the applicable laws.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Circle Incharge, Nahan Forest Circle, Nahan	Chairman;
(ii)	A representative of the Non-governmental Organisation working in the field of Environment to be nominated by the State Government	Member;
(iii)	Regional Executive Engineer of the State Pollution Control Board	Member;
(iv)	Senior Town Planner of the area	Member;
(v)	An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	One member of State Biodiversity Board to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer(Wildlife), Shimla	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per the proforma appended as Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of **Supreme Court, etc. -** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/48/2015-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF COL. SHER JUNG NATIONAL PARK ECO-SENSITIVE ZONE

1-Boundaries of Eco-Sensitive Zone are as given:-

(i) The said Eco-Sensitive Zone shall comprise of the area of suitable width from the boundary of protected area of Col. Sher jung National Park situated in the Sirmour District of Himachal Pradesh between N - 30^0 26'to 300 34' and E – 77^0 30' to 77^0 23' 30'' as shown in the map (Annexure II).

(ii) The map of the Eco-Sensitive Zone is at Annexure-IIA and IIB and the list of the Reserve Forests and villages falling within area of suitable width of the boundary of Col. Sher jung National Park in the Eco sensitive zone are as follows:-

List of Reserve Forest:

Sl. NO.	NAME OF FOREST DIVISION	NAME OF FOREST RANGE	NAME OF RESERVE FOREST
1	Paonta Sahib	Majra	RF Garhi
2	Paonta Sahib	Majra	RF garhibansawali
3	Paonta Sahib	Majra	RF naurngabad
4	Paonta Sahib	Majra	RF Sudanwala
5	Paonta Sahib	Majra	RF Behrewala
6	Paonta Sahib	Majra	RF Tokion
7	Paonta Sahib	Majra	RF Sainwala
8	Paonta Sahib	Majra	RFPaniwali
9	Paonta Sahib	Majra	RFJamanwali
10	Paonta Sahib	Majra	RF Sukhimelion
11	Paonta Sahib	Majra	RF BadiGhati
12	Paonta Sahib	Majra	RF Kiarda
13	Paonta Sahib	Majra	RF Banswali
14	Paonta Sahib	Majra	RF Katta Pathar
15	Paonta Sahib	Majra	RF Surajpur
16	Paonta Sahib	Majra	RF Mahadev
17	Paonta Sahib	Majra	RF Guttanpur
18	Paonta Sahib	Majra	RF Kothewali
19	Paonta Sahib	Majra	RF mast Ali
20	Paonta Sahib	Majra	RF Ambwali
21	Paonta Sahib	Majra	RF Konchhbeli

MediaCode

List of Villages:

5- Pilhoir,

6- Naurangabad Gujjar Colony.

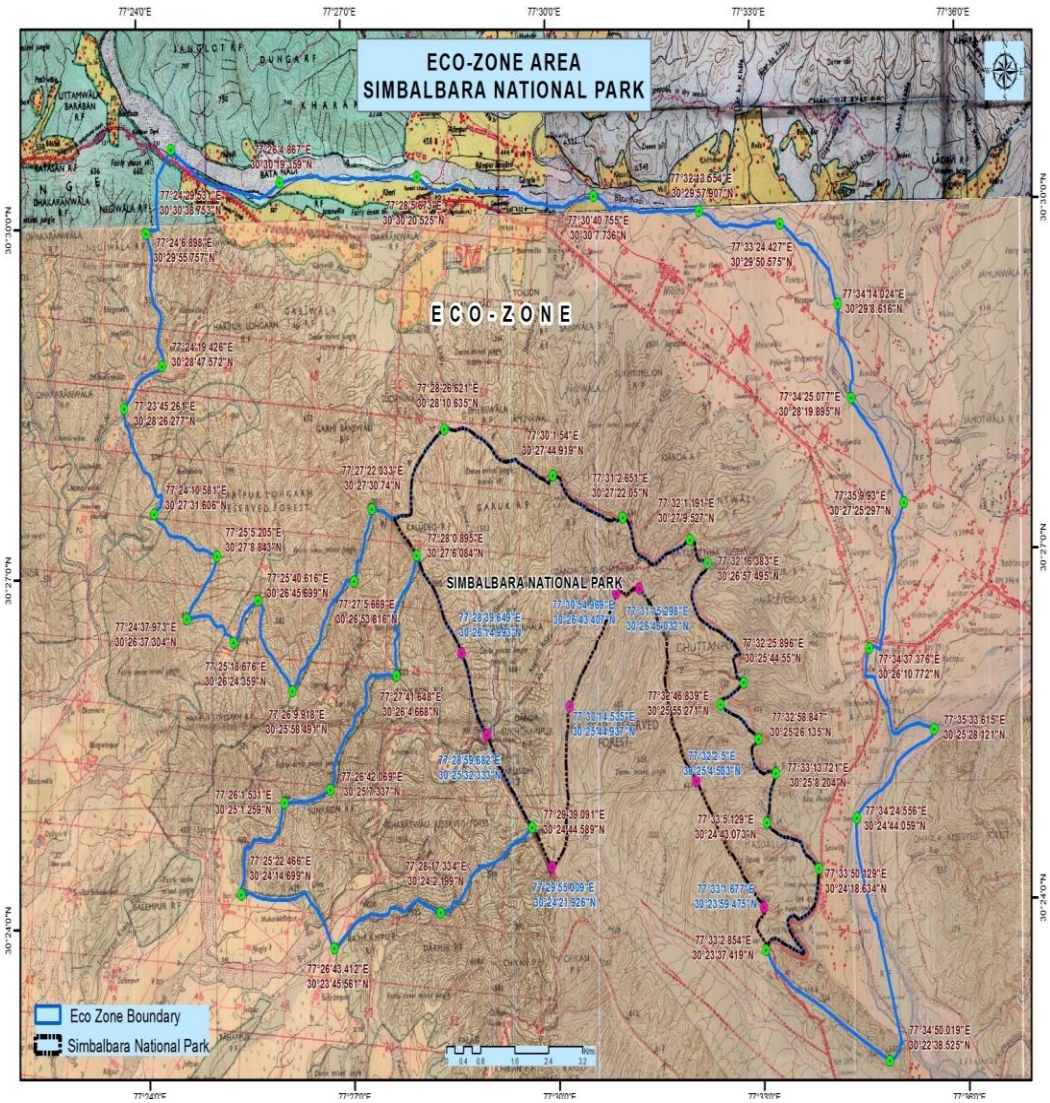
7- Ghuttanpur

8- Behral.

(iii) All activities in the Col. Sher jung National Park are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972)

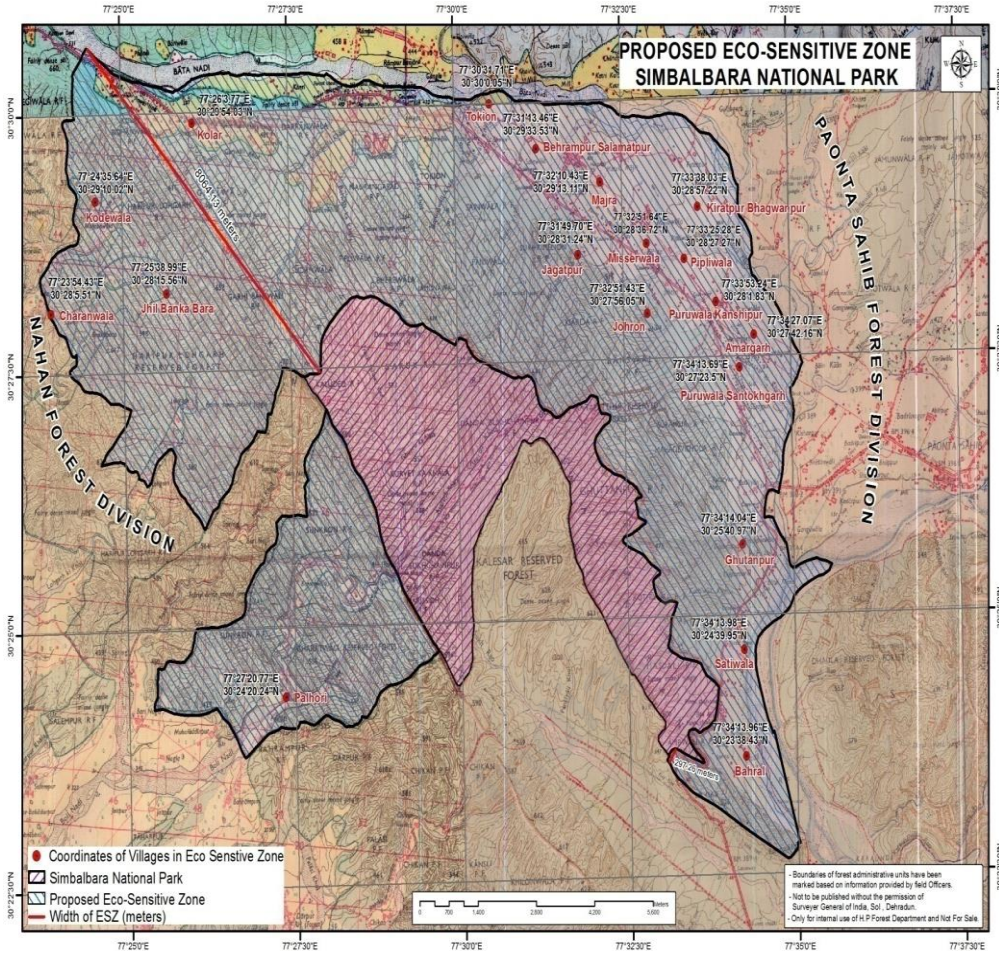
ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF COL. SHER JUNG NATIONAL PARKALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF COL. SHER JUNG NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES ALONG THE BOUNDARY OF COL. SHER JUNG NATIONAL PARK

Sl. NO	LONGITUDE	LATITUDE
1.	77° 28' 26.621" E	30° 28' 10.635"N
2.	77° 31' 2.651" E	30° 27' 22.05"N
3.	77° 32' 16.383" E	30° 26' 57.495"N
4.	77° 32' 58.847" E	30° 25' 26.135"N
5.	77° 33' 2.854" E	30° 33' 37.419"N
6.	77° 31' 15.298" E	31° 26' 46.032"N
7.	77° 30' 14.535" E	30° 25' 44.937"N
8.	77° 29' 55.009" E	30° 24' 21.926"N
9.	77° 28' 39.649" E	31° 26' 14.993"N
10.	77° 28' 0.895" E	30° 27' 6.084"N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	LONGITUDE	LATITUDE
1.	77° 24' 29.531"E	30° 30' 38.753"N
2.	77° 28' 5.673" E	30° 30' 20.525" N
3.	77° 22' 24.427" E	30° 29' 50.575" N
4.	77° 34' 37.676" E	30° 26' 10.772" N
5.	77° 34' 50.119" E	30° 22' 38.525" N
6.	77° 33' 2.854" E	30° 33' 37.419"N
7.	77° 29' 39.091" E	30° 24' 44.589" N
8.	77° 25' 22.466" E	30° 24' 14.699" N
9.	77° 28' 0.895" E	30° 27' 6.084"N
10.	77° 27' 22.033" E	30° 27' 30.74" N
11.	77° 26' 9.918" E	30° 25' 58.991" N
12.	77° 24' 10.581" E	30° 27' 31.606" N
13.	77° 24' 6.898" E	30° 29' 55.757" N

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF COL. SHER JUNG NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	NAME OF VILLAGE	LATITUDE	LONGITUDE
1.	Bahral	30°23'38.43"N	77°34'13.96"E
2.	Satiwala	30°24'39.95"N	77°34'13.98"E
3.	Ghutanpur	30°25'40.97"N	77°34'14.04"E
4.	puruwala Santokhgarh	30°27'23.50"N	77°34'13.69"E
5.	Amargarh	30°27'42.16"N	77°34'27.07"E
6.	Puruwala Kanshipur	30°28'1.83"N	77°33'53.24"E
7.	johron	30°27'56.05"N	77°32'51.43"E
8.	Pipliwala	30°28'27.27"N	77°33'25.28"E
9.	Kiratpur Bhagwanpur	30°28'57.22"N	77°33'38.03"E
10.	Misserwala	30°28'36.72"N	77°32'51.64"E
11.	Jagatpur	30°28'31.24"N	77°31'49.70"E
12.	Majra	30°29'13.11"N	77°32'10.43"E
13.	Behrampur Salamatpur	30°29'33.53"N	77°31'13.46"E
14.	Tokion	30°30'0.05"N	77°30'31.71"E
15.	Kolar	30°29'54.03"N	77°26'3.77"E
16.	Kodewala	30°29'10.02"N	77°24'35.64"E
17.	Charanwala	30°28'5.51"N	77°23'54.43"E
18.	Jhil Banka Bara	30°28'15.56"N	77°25'38.99"E
19.	Palhori	30°24'20.24"N	77°27'20.77"E

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.13 21:59:15 +05'30'